(b) and (c) In view of the reply to part (a) of the question, replies to part (b) and (c) do not arise.

Changes in Import Policy

4280. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have amended the current year's import policy relating to input/output norms for certain export items; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) Yes, Sir.

(b) The details are contained in the Ministry of Commerce Public Notices Nos. 19-ITC(PN)/82 dated 15-4-1982, 30-ITC(PN)/82 dated 9-6-1982, 36-ITC (PN)/82 dated 22-7-1982 and 47-ITC(PN)/82 dated 24-9-1982. copies of which are available in the Parliament Library.

Import of Stainless Steel Sheets at Reduced Rate

4281. SHRI S. T. QUADRI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many firms have imported stainless steel sheets in various forms like folded angles and cleared consignments at lower rates of import duty on personal Bonds;

(b) if so, the particulars of the firms involved, the quantity of materials imported and the total amount of import duty avoided; and

(c) what steps, Government have initiated to recover the huge amounts of import duty from these firms?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PATTABHI RAMA RAO) : (a) Yes, Sir, In terms of the court orders, the consignments so imported were released provisionally at lower rate of import duty against personal bonds for disputed amounts of duty with Bank Guarantees for varying percentages of such amounts.

(b) Since the details asked for will need to be culled from various records, it is not possible to compile the requisite information without expense of disproportionate time and effort. If the particulars of the consignment about which such information is required, are specified the requisite information can be collected and furnished.

(c) The recovery action can be initiated only after the pending Court cases are finally decided.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण

4282. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री भीम सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की, प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को उद्योगों की स्थापना करने के लिए ऋण देने की कोई योजना है ताकि वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत दो वर्षों में तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के ऋण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने लोगों को ऋण प्रदान किया गया और अस्वीकृत आवेदन-पत्रों की प्रतिशतता क्या है तथा उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि विशेषत: लघु उद्योगों में से अपेक्षाकृत छोटे उद्योगों और तकनीकी योग्यता प्राप्त एवं केन्द्रीय / राज्य सरकारों की विशेष रोजगार योजनाओं के अधीन प्रायोजित उद्यमियों के बारे में मार्जिन अपेक्षाओं के सम्बन्ध में लचीला रवैया अपनाएं और यदि कोई प्रस्ताव, अन्यथा ठीक हो तो कोई भी अर्थक्षम योजनाएं केवल मार्जिन के अभाव में अस्वीकृत न की जाएं । इसके अलावा, पात्र मामलों में उद्यमियों को यह अनुमति दी जानी चाहिए कि वे जब और जैसे जरूरत हो साम्या (इक्विटी) विभिन्न चरणों में प्रस्तुत कर दें और इस बात पर जोर न दिया जाए । कि परियोजना की प्रारम्भिक अवस्थाओं में भी सारी साम्या पूंजी प्रस्तुत की जाए। बैंकों से कहा गया है कि उन्हें ऋण प्रस्तावों पर विचार करते समय मुख्यत: परियोजनाओं को अर्थक्षमता से प्रभावित होना चाहिए और अस्थाई सम्पत्ति / तीसरे पक्ष की गारण्टी के रूप में सांपार्श्विक [जमानत पर दस्तूरी तौर से जोर नहीं दिया जाना चाहिए। सिर्फ सांपार्श्विक जमानत / गारण्टी के अभाव में किसी समुचित प्रस्ताव को अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए । जहां सांपार्श्विक जमानत प्राप्त की जाए, वहां यथा सम्भव प्रभार, साम्याबंधक के रूप में निर्मित किया जाना चाहिए न कि पंजीकृत बंधक के रूप में ताकि ऋणकर्ताओं को स्टैम्प शुल्क / रजिस्ट्री के खर्चे की बचत हो सके। बैंकों को सावधि ऋणों के बारे में ऋण की वापसी अदायगी का कार्यक्रम वित्तपोषित एकक की मुनाफ़ा कमाने की क्षमता, लाभ-हानि बराबर कर लेने की स्थिति को ध्यान में रख कर बनाना चाहिए न कि तदर्थ रूप में । इसके अलावा जब भी कोई एकक बिजली में कटौती मन्दी या अन्य किन्हीं वास्तविक कारणों से अदायगी करने में असमर्थ रहे तो निर्धारित वापसी अदायगी के कार्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए और यथावश्यक सीमा तक उसका पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए ।

बैंकों को ऋणों की वापसी अदायगी से छूट की अवधि (होली डे पीरियड) में संचित हुए ब्याज को, उस एकक द्वारा मुनाफा कमाने लगने के बाद आसान किस्तों में वसूलना चाहिए और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज का अंश नहीं होना चाहिए ।

शाखा प्रबन्धकों में विवेक शक्तियां निहित कर दी जानी चाहिएं ताकि 60 से 80 प्रतिशत तक ऋण विषयक निर्णय स्वयं शाखास्तर पर ही किए जा सकें। 25000 रुपये तक की ऋण सीमाएं तथा इस राशि से अधिक किन्तु 2 लाख रुपये तक की सीमा वाले मामले सामान्यत: आवेदन प्राप्त होने के क्रमश: 4 सप्ताह और 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटा दिए जाने चाहिएं ।

एकरूपता और सरलीकरण के एक उपाय के रूप में उनसे यह कहा गया है कि वे 2 लाख रुपये तक की ऋण सीमाओं के लिए सभी लघु उद्योगों के ऋणकर्ताओं के वास्ते एक सममानकीकृत आवेदन और साक्षात्कार-एवं-मूल्यांकन फार्मों के सट प्रारम्भ करें । (फार्मों का एक सैट 25000 रुपये तक के ऋणों के लिए है और दूसरा 25000 रु० और 2 लाख रुपये के बीच के अग्रिमों के लिए) छोटे पैमाने के उद्योगों के वास्ते ब्याज दर ढांचा काफी उदार है और 2 मार्च,

1981 से प्रभावी हुई दरें नीचे दी गई हैं :—

25,000.00 रुपये तक के संमिश्र ऋण

	प्रतिवर्ष
पिछड़े क्षेत्र	10.25
अन्य क्षेत्र	12.50

अग्रावधिक अग्रिम

	प्रतिवर्ष से अनधिक
2 लाख रुपये तक	15
2 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक	17.5
25 लाख रुपये से अधिक	19.5

सावधि ऋण

	प्रतिवर्ष
पिछड़े क्षेत्र	12.50
(केवल नए एककों के वास्ते)	
अन्य क्षेत्र	13.50

(ग) और (घ). दिसम्बर 1979 और 1980 को समाप्त हुए वर्गों और मार्च, 1981 के अन्त तक की स्थिति के मुताबिक छोटे पैमाने के उद्योगों को बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। अस्वीकृत ऋण आवेदन-पत्रों से सम्बन्धित सूचना, इस समय विद्यमान सूचना प्रणाली से प्राप्त नहीं होती।

निम्नलिखित के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के मुताबिक	एककों की संख्या हजारों में	बकाया राशि करोड़ रुपयों में
दिसम्बर, 1979	681	2633
दिसम्बर, 1980	794	3136
मार्च, 1981	830	3300

Resignation of General Manager (Hotels of ITDC)

4283. SHRI RASHEED MASOOD: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the General Manager Hotels (ITDC) had recently resigned; if so what are the reasons therefor;

(b) whether it is also a fact that CBI inquiry has been instituted against certain officials of ITDC;

(c) if so, has the inquiry been completed; and

(d) what are the details thereof and what action has been taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN): (a) No, Sir.

(b) to (d) Enquiries against some officials of the I.T.D.C. have been initiated by the C.B.I. These are still in progress. Appropriate action will be taken after these enquiries have been completed.

News-item captioned "Emergency Landing by Korean Plane at Sonegaon"

4284. SHRI N. K. SHEJWALKAR: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Korean 11-62 aeroplane forced landed at